संख्या 6/2023/बी-3-।/429953/2023 /दस-2023-100(4)/2002-ब.मै. टी.सी.-2

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20 नवम्बर, 2023

विषयः- व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-1497/दस-2010-100(4)/2002 ब.मै. टी.सी.-।। दिनांक 21.06.2010 को संशोधित करते हुए आदेश दिनांक 04.10.2018 द्वारा मानक मदों की ग्रुपिंग के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था की गई है :-

ग्रुप-1	01-वेतन
	03-महगाई भत्ता
	06-अन्य भत्ते
ग्रुप-2	04-यात्रा व्यय
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय
	45-अवकाश यात्रा व्यय
ग्रुप-3	08-कार्यालय व्यय
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई
	42-अन्य व्यय
	51-वर्दी व्यय
ग्रुप-4	09-विद्युत व्यय
	10-जलकर/जल प्रभार
	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व

2- कार्यालय कोषागार निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1429/2(दो)/2022-23/को.नि./बजट, दिनांक 13.07.2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या बी-3-441/दस-2018-100(4)/2002 ब.मै. टी.सी.-।। दिनांक 04.10.2018 में उल्लिखित ग्रुप-1 में उक्त 03 मानक मदों को जोड़ते हुए निम्नवत संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
ग्रुप-1	01-वेतन 03-महगाई भत्ता 06-अन्य भत्ते	ग्रुप-1	01-वेतन 03-महगाई भत्ता 06-अन्य भत्ते 55-मकान किराया भत्ता 56-नगर प्रतिकर भत्ता 57- प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

3- ग्रुप- 2 , 3 व 4 यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त।

संख्या 6/2023/बी-3-।/429953/2023/दस-2023-100(4)/2002-ब.मै. टी.सी.-2 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8- आदेश पंजिका ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in